



परिषद की कानपुर जोन के अन्तर्गत

नवनिर्मित/नवविकसित/निरस्तीकरण से रिक्त

आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों का आवंटन/नीलामी

आवंटन/
नीलामी तिथि :
29.01.2013
समय: प्रातः
10:30 बजे

आवंटन/नीलामी स्थल : कार्यालय, संयुक्त आवास आयुक्त (कानपुर जोन), आफिस काम्प्लेक्स (भू-तल), केशवपुरम, कल्यानपुर, कानपुर

आवासीय सम्पत्तियों का विवरण (नीलामी द्वारा)

सम्पत्ति श्रेणी व संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	अनुमानित मूल्य फ्रीहोल्ड सहित (रु. लाख में)	पात्रता
अम्बेडकरपुरम योजना संख्या-3 (फेज-2), कानपुर			
मध्यम आय वर्ग 42/108 प्रकार का भवन (01 नग)			
6/129/60 (OBC)	114.63	13.50	अपंजीकृत
अम्बेडकरपुरम योजना संख्या-3 (फेज-1), कानपुर			
आवासीय भूखण्ड 81 से 170 वर्गमीटर तक (15 नग)			
4766, 4767, 4808, 4809, 4811, 4812, 4813, 4814, 4815, 4816, 4817, 4820, 4821, 4822, 4823	162.00	9520.00 per sq.m.	अपंजीकृत
हंसपुरम योजना संख्या-2, कानपुर			
मध्यम आय वर्ग भवन 53/127 प्रकार (01 नग)			
A-2275	127.50	15.00	अपंजीकृत
आवासीय भूखण्ड 170 वर्गमीटर से अधिक (04 नग)			
6A-680, 3D-545/1, 3/477/137	220.00 to	7616.00 per sq.m.	अपंजीकृत
2A-31B-1	300.00		

व्यावसायिक श्रेणियों की सम्पत्तियों का विवरण (नीलामी द्वारा)

सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	आरक्षित दर/अनुमानित मूल्य फ्रीहोल्ड सहित (रु. लाख में)	एफ0ए0आर0	ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत	अधिकतम ऊँचाई (मीटर में)
केशवपुरम योजना संख्या-1, कानपुर					
व्यावसायिक भूखण्ड (09 नग)					
H/CP-2, H/CP-3	135.00	22400.00	1.20	40%	12.50
H/CP-7	159.30	22400.00	1.20	40%	12.50
JC-1©	1308.13	24640.00	1.20	30%	12.50
J/COM-5©	738.00	24640.00	1.20	40%	10.00
CP-0/1©	702.00	24640.00	1.20	40%	10.00
CP-0/2, CP-0/3	648.00	22400.00	1.20	40%	10.00
CP-0/4©	702.00	24640.00	1.20	40%	10.00
संस्थागत भूखण्ड (10 नग)					
SEC-1/A©	1800.00	18480.00	-	-	-
SEC-1/B	1800.00	16800.00	-	-	-
SEC-1/C©	1545.00	18480.00	-	-	-
SEC.M-1©	2585.00	18480.00	1.50	35%	15.00
SEC.M-2 to SEC.M-5	997.50	16800.00	1.50	35%	15.00
SEC.M-6©	997.50	18480.00	1.50	35%	15.00
G/INS-1	1953.00	16800.00	1.50	35%	15.00

नीलामी द्वारा निस्तारित की जाने वाली व्यावसायिक (दुकानें एवं कियास्क) सम्पत्तियों का विवरण

सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	आरक्षित दर/अनुमानित मूल्य फ्रीहोल्ड सहित (रु. लाख में)
अम्बेडकरपुरम योजना संख्या-3 (फेज-1), कानपुर		
दुकानें (28 नग)		
S-01©	14.97	13.28
S-02 to S-09	14.42	12.95
S-10	14.97	13.28
SH-03	18.073	12.97
SH-04	18.172	13.02
SH-05	18.073	12.97
SH-06	18.073	12.97
SH-07	22.668	15.13
SH-08	18.073	12.97
SH-09	18.172	13.02
SH-10	18.073	12.97
SH-11	18.834	13.02
SH-12	18.834	13.02
SH-13	18.073	12.97
SH-14	18.172	13.02
SH-15	18.073	12.97
SH-16	22.668	15.13
SH-17, SH-18	18.073	12.97
SH-19	18.172	13.02
SH-20	18.073	12.97
चन्द्रशेखर आजाद नगर योजना, उन्नाव		
दुकानें (12 नग)		
S-06 to S-09	9.74	4.970
S-10, S-11	10.21	5.209
S-12 to S-16	9.74	4.970
S-17	10.21	5.209
कियास्क (02 नग)		
K-1, K-2	7.455	3.508

अम्बेडकरपुरम योजना संख्या-3 (फेज-2), कानपुर

सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	आरक्षित दर/अनुमानित मूल्य फ्रीहोल्ड सहित (रु. लाख में)	एफ0ए0आर0	ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत	अधिकतम ऊँचाई (मीटर में)
व्यावसायिक भूखण्ड (20 नग)					
3/COM-1/21 to 3/COM-1/25	300.00 to 605.00	20160.00	1.20	40%	10.00
3/COM-1/27©	692.71	22176.00	1.20	40%	10.00
6/COM.1/3 to 6/COM.1/5	420.00 to 450.00	20160.00	1.50	55%	12.50
6/COM.1/6©	606.00	22176.00	1.50	55%	12.50
7/COM-1/3©, 7/COM-1/4©	495.00 to 1879.20	22176.00	2.00	40%	10.00
7/COM-1/5 to 7/COM-1/11	450.00	20160.00	2.00	40%	10.00
7/COM-1/12©	480.00	22176.00	2.00	40%	10.00
प्रीमियम भूखण्ड (23 नग)					
3/PR-27©	1130.04	16632.00	1.20	40%	10.00
8/PR-1©, 8/PR-2 to 8/PR-8	450.00 to 540.00	15120.00 to 16632.00	1.50	55%	12.50
8/PR-9©, 8/PR-10©	540.00	16632.00	1.50	55%	12.50
8/PR-11 to 8/PR-14	450.00	15120.00	1.50	55%	12.50
8/PR-15©	540.00	16632.00	1.50	55%	12.50
9/PR-1©, 9/PR-2 to 9/PR-6	450.00 to 600.00	15120.00 to 16632.00	2.00	40%	10.00
9/PR-7©	600.00	16632.00	2.00	40%	10.00

हंसपुरम योजना संख्या-2, कानपुर

सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	आरक्षित दर/अनुमानित मूल्य फ्रीहोल्ड सहित (रु. लाख में)	एफ0ए0आर0	ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत	अधिकतम ऊँचाई (मीटर में)
व्यावसायिक भूखण्ड (16 नग)					
CC-1©	201.60	16756.00	-	-	-
CC-2	201.60	15232.00	-	-	-
6A-CP-2©	225.00	16756.00	-	-	-
B1-1/4, B1-1/6, B1-1/8	45.00	15232.00	-	-	-
B1-1/10©	63.00	16756.00	-	-	-
B1-11 to B1-16	45.00	15232.00	-	-	-
7/CP-2, 7/CP-3, 7/CP-4	450.00	15232.00	-	-	-
संस्थागत भूखण्ड (04 नग)					
2A-INS-1	1731.30	11424.00	-	-	-
2A-INS-2, 2A-INS-3	551.00	11424.00	-	-	-
2A-INS-4©	712.50	12566.00	-	-	-
सामुदायिक केन्द्र भूखण्ड (04 नग) (लीज पर)					
SECTOR 1A©, SECTOR 1B©	839.12 to 1805.00	7480.00	-	-	-
SECTOR 5G©, SECTOR 5H©	834.75 to 1627.50	7480.00	-	-	-

बांदा योजना, बांदा

सम्पत्ति संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग मी. में)	आरक्षित दर/अनुमानित मूल्य फ्रीहोल्ड सहित (रु. लाख में)	एफ0ए0आर0	ग्राउण्ड कवरेज प्रतिशत	अधिकतम ऊँचाई (मीटर में)
व्यावसायिक भूखण्ड (01 नग)					
A-Comm-01	206.93	8624.00	-	-	-
चन्द्रशेखर आजाद नगर योजना, उन्नाव					
व्यावसायिक भूखण्ड (02 नग)					
402/5©, 402/6©	37.44 to 49.30	8540.00	-	-	-

© चिन्ह कार्नर की सम्पत्ति का द्योतक है।

नोट:- (1) प्रीमियम भूखण्डों का उपयोग भूतल पर व्यावसायिक प्रयोग होगा एवं बेसमेन्ट का प्रयोग भण्डारण एवं पार्किंग हेतु किया जायेगा। उक्त भूखण्डों का सबडिवीजन/विक्रय अनुमत्य नहीं होगा। शेष नियम व शर्तों की जानकारी सम्बन्धित कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। (2) प्रीमियम हाउसिंग के भूखण्डों का मूलस्वरूप आवासीय ही रहेगा। अतः भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2000 के अध्याय-3 भाग-5 के प्रस्तर 1, 5, 1 के अनुसार प्ररनगत भूखण्डों हेतु अनुमत्य भू-आच्छादन एफ.ए.आर. व अनुमत्य इकाई भवन का निर्माण विकास उपविधि-2000 के अनुसार रहेगा।

आवंटन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप:- योजना/शहर का नाम.....

सम्पत्ति की संख्या व क्षेत्रफल..... आरक्षित मूल्य टोकन के रूप में बयाना धनराशि रु0 बैंक ड्राफ्ट संख्या दिनांक आवेदक का नाम पिता/ पति का नाम आरक्षण श्रेणी (राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित प्रमाण पत्र संलग्न करें) पत्र व्यवहार का पतादूरभाष/ मोबाइल नम्बर ई-मेल आईडी0 दिनांक/ स्थल/ नाम- पिता/ पति का नाम-संस्थान/ फर्म/ कम्पनी का नाम पूरा पता

सील विड का प्रारूप:- (1) योजना/शहर का नाम (2) सम्पत्ति की संख्या व क्षेत्रफल (3) आरक्षित मूल्य (4) उच्चतम मूल्य

..... (5) टोकन के रूप में बयाना धनराशि रु0 (6) बैंक ड्राफ्ट संख्या व दिनांक एवं बैंक का नाम (7) आवेदक का नाम (8) पिता/ पति/ फर्म/ कम्पनी/ संस्था का नाम (9) आरक्षण (यदि देय है, तो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रति संलग्न करें)..... (10) पत्र व्यवहार का पता (11) दूरभाष/ मोबाइल नं0 ई-मेल आईडी0

घोषणा (आवेदन एवं सील विड दोनों के साथ आवश्यक):- (1) मैंने स्थल पर सम्पत्ति को देख लिया है। मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ, 'जैसी है, जहाँ है' के आधार पर लेने के लिये सहमत हूँ। (2) मेरे, मेरे पति/ पत्नी अथवा अवयस्क बच्चों के नाम..... संबंधित शहर में कोई भवन/ भूखण्ड नहीं है एवं उ0प्र0 के किसी अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भवन/ भूखण्ड नहीं हैं। (3) मेरे, मेरे पति/पत्नी अथवा अवयस्क बच्चों की वर्ष 2011-12 की समस्त स्ट्रोतों से आय रु0..... से अधिक नहीं है। (4) मुझे उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद के सभी अध्यावधिक प्रभावी नियम व शर्तें मान्य हैं। तिथि..... स्थान..... आवेदक के हस्ताक्षर.....

नियम व शर्तें :- (1) आवेदन/ सील विड फार्म संबंधित शहर/ योजना के सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय/ जोन कार्यालय से भी रु0 100/- जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। (2) सील विड/ आफर अंकित करते हुए रु0 100/- के बैंक ड्राफ्ट (आवेदन/ सील विड फार्म कार्यालय से अथवा उपरोक्त प्रारूप पर तैयार कर जमा करने की दशा में) एवं व्यावसायिक सम्पत्तियों हेतु 10 प्रतिशत टोकन मनी सहित नीलामी से दो दिन पूर्व (कार्य दिवस) तक संबंधित कार्यालय/ जोन कार्यालय में डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से प्राप्त होना चाहिए। जिन सम्पत्तियों में कार्नर शुल्क नहीं जोड़ा गया है, उनमें कार्नर शुल्क पृथक से लिया जायेगा। डाक से भी सील विड भेजी जा सकती है, जो नीलामी की तिथि से दो दिन (कार्यदिवस) से पूर्व सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में अवश्य पहुँच जाना चाहिये अन्यथा विचार नहीं किया जायेगा। (3) आवंटन हेतु आवेदन पत्र तथा नीलामी हेतु सीलविड सम्बन्धित शहर/योजना के लिये निम्नलिखित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में अथवा जोन कार्यालय में निम्न पते पर प्राप्त कराया जा सकता है। (4) सम्पत्तियों की संख्या एवं मूल्य में कमी अथवा वृद्धि हो सकती है। (5) आवासीय सम्पत्तियों का आवंटन शासनादेश/परिषद के प्रदेशन सम्बन्धी विनियम एवं आदेशों के अनुसार आवेदकों के मध्य लाटरी पद्धति से किया जायेगा, किन्तु जिन सम्पत्तियों का नीलामी से होने का उल्लेख है, उन्हें नीलामी पद्धति से निस्तारित किया जायेगा। (6) आवासीय सम्पत्तियों हेतु सम्पत्ति के मूल्य का 5 प्रतिशत का पंजीकरण बैंक ड्राफ्ट/पे-ऑर्डर जो 'उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद' के पक्ष में सम्बन्धित शहर में भुगतान योग्य देय हो, के साथ निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र दिनांक 28.01.2013 तथा सील विड नीलामी तिथि से दो दिन पूर्व तक (कार्य दिवस में) सायं 5.00 बजे तक निम्नलिखित पतों पर प्राप्त हो जाने चाहिये अथवा नीलामी प्रारम्भ होने से पूर्व टोकन प्राप्त कर खुली बोली में भाग लिया जा सकता है। (7) नीलामी में मूल बिडदाता टोकनधारक द्वारा ही बोली में प्रतिभाग मान्य होगा। यदि बिड अथवा टोकनधारक द्वारा बोली में प्रतिभाग किसी कारणवश नहीं लिया जाता है तथा प्रतिनिधि प्रतिभाग करता है तो प्रतिनिधि को अधिकार शपथपत्र, जिस पर प्रतिनिधि का नाम व पूरा पता फोटो सहित नोटरी से प्रमाणित कराना होगा तथा साथ में आई0डी0 प्रमाण दिखाना होगा। (8) एक व्यक्ति एक सम्पत्ति के लिए ही बोली में प्रतिभाग कर सकेगा। (9) अपूर्ण तथा कटफटे एवं सशर्त आवेदन पत्र स्वीकार

नहीं होंगे। (10) सम्पत्ति वर्तमान परिस्थितियों में 'जहाँ है, जैसी है' के आधार पर आवंटित की जायेगी। सम्पत्ति के लोकेशन, आकार व स्थलीय स्थिति के आधार पर बाद में कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। (11) सम्पत्ति का कब्जा देय भुगतान के बाद ही नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध/ विक्रय-विलेख उपरान्त किया जायेगा। (12) आवेदक के पास उस नगर में कोई भूखण्ड/ भवन नहीं होना चाहिये तथा उ0प्र0 के अन्य किसी नगर अथवा किसी शहरी क्षेत्र में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिये। (13) एक आवेदक के एक से अधिक भूखण्ड/भवन हेतु आवेदन की स्थिति में अन्तिम आवंटन हेतु एक ही भवन/ भूखण्ड देय होगा तथा शेष आवंटन निरस्त किये जायेंगे। (14) सम्पत्तियों का विस्तृत विवरण एवं शर्तों की जानकारी हेतु सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय/जोन कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है अथवा परिषद की वेबसाइट www.upavp.com पर Public Notice के अन्तर्गत देखी जा सकती है। (15) समस्त प्रकरणों में परिषद के अध्यावधिक नियम व शर्तें प्रभावी होंगी। किसी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

नीलामी/सील विड फार्म प्राप्त करने के पते निम्नलिखित हैं:-

(1) सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद आफिस काम्प्लेक्स, केशवपुरम, कल्यानपुर, कानपुर (2) सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 5 सी-101-104, योजना संख्या-2, हंसपुरम, हमीरपुर रोड, कानपुर (3) सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लोहियापुरम योजना, फतेहगढ़ (4) सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, योजना संख्या-1, औरैया (5) सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, एस-5 एवं 6, चन्द्रशेखर आजाद नगर योजना, उन्नाव (6) सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, तालपुरा योजना, झाँसी (7) कार्यालय संयुक्त आवास आयुक्त (कानपुर जोन), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद आफिस काम्प्लेक्स (भूतल), केशवपुरम, कल्यानपुर, कानपुर।

परिषद ने ग्राहकों की शिकायतों एवं समस्याओं के निस्तारण के लिए

जन सुविधा केन्द्र

की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते हैं। यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक उपलब्ध है।

डायल करें

1800-180-5333 (टोल-फ्री)

0522-2236803

(आई.एस.ओ. 9001 : 2000 प्रमाणित संस्था)

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गाँधी मार्ग, लखनऊ

website : <http://www.upavp.com> E-mail : upavp@sancharnet.in

